न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 852—पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 30—12—2015 पारित द्वारा न्यायालय राजस्व निरीक्षक, गढ़ी, गैरतगंज, जिला रायसेन प्रकरण कमांक 59/अ—12/2014—15.

....

1—शोएब बैग पुत्र श्री मिर्जा इकराम बैग
निवासी नियर रात दिन पेट्रोल पंप गैरतगंज
जिला रायसेन म0प्र0
2—देवीप्रसाद दुबे पुत्र श्री द्वारिका प्रसाद दुबे
निवासी नियर रात दिन पेट्रोल पंप गैरतगंज
जिला रायसेन म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय गैरतगंज जिला रायसेन

.... अनावेदक

....

श्री आर0डी0शर्मा, अभिभाषक—आवेदकगण
श्री राजीव गौतम, अभिभाषक—अनावेदक

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 13/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक, गढ़ी, गैरतगंज, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30—12—2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि वन जैव विविधता एवं जैव प्रोद्योगिकी विभाग के मंत्री द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को लिखे गये पत्र कमांक 1146 दिनांक 17–7–2015 से शासकीय महाविद्यालय गैरतगंज की भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा किया गया है । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 30–12–15 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में आवेदक सहित पड़ोसी कृषकों को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण के पीठ पीछे किया गया सीमांकन अवैधानिक एवं अनियमित है और ऐसे सीमांकन के आधार पर आवेदकगण की भूमि पर बुलडोजर चलाकर फलदार बृक्ष नष्ट करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय द्वारा स्थायी सीमाचिंहों से सीमांकन नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 2–1–16 को भेजा गया है और राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 30–12–15 को ही सीमांकन की पुष्टि कर दिया गया है जो संभव नहीं है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अनुरूप सीमांकन की कार्यवाही की गई है इसलिये सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन गठित सीमांकन दल द्वारा विधिवत् आवेदकगण को सूचना दी जाकर किया गया है और आवेदकगण की ओर से उनके प्रतिनिधि सीमांकन के समय

उपस्थित भी हुये हैं । सीमांकन दल द्वारा विधिवत् स्थायी सीमाचिन्हों से संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अन्तर्गत विहित प्रकिया अपनाकर सीमांकन किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है, इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक, गढ़ी, गैरतगंज, जिला रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर